

फोन : 05262-232994

श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज

गोण्डा (उ. प्र.)



नियमावली एवं निर्देशिका

2021-22



स्थापना-2 अक्टूबर 1966

डॉ० राममोहर लोहिण अध्ययन प्रशिक्षण, अयोध्या से सम्बद्ध

यू० जी० सी० अधिनियम की धारा 2F एवं 12 B के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त

website : lbsdc.org.in

डॉ० वन्दना साख्खत

प्राचार्य



महत्वपूर्ण सूचनायें/निर्देश

1. नियमावली (Prospectus) के सभी अंशों को भली भांति पढ़ लें। इन नियमों का अनुपालन करना आपकी बाध्यता होगी। इनसे सहमत होने पर ही प्रवेश के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
2. सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे डॉ० राम मजोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार UIN (Unique Identification Number) प्राप्त करने के पश्चात् कॉलेज की वेबसाइट lbsdc.org.in पर प्रवेश हेतु वांछित समस्त सूचनायें भरने के बाद प्रिंटआउट प्राप्त करें और उसे समस्त संलग्नकों के साथ कॉलेज में जमा करें।
3. कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर व परास्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में समरूप प्रवेश पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों, भारांकों, आरक्षण नियमों व कटौती के आधार पर बनायी गयी मेरिट से होंगे। प्रवेश हेतु किसी व्यक्ति की सिफारिश अयोग्यता समझी जायेगी।
4. अपने प्रवेश हेतु आप किसी मध्यरथ को शुल्क इत्यादि देकर संकट में न फंसे। क्योंकि प्रायः यह देखने में आता है कि कुछ दबंग किस्म के व्यक्ति प्रवेश की गारन्टी लेकर सीधे साथे छात्रों से धन ऐठते हैं। अतः अपने धन की रक्षा हेतु रखयं प्रवेश लें।
5. कॉलेज परिवार के किसी सदृश्य के प्रति अभद्र व्यवहार के आरोपी, परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के दोषी अथवा किसी प्रकार की अलामाजिक गतिविधियों में संलग्न अभ्यार्थी का कॉलेज में प्रवेश संभव नहीं होगा।
6. आंतरिक प्रशासन के हित में किसी भी छात्र को प्रवेश देने या न देने का प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है। प्राचार्य किसी छात्र/छात्रा का नाम आन्तरिक प्रशासन के हित में बिना कारण बताये महाविद्यालय से किसी भी समय काट सकते हैं।
7. विधिवत् प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्रायें ही कॉलेज में पढ़ेंगे। आकर्षिक छात्र के रूप में तथा एक विषय (स्नातक तक) में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। छात्रों तथा छात्राओं को निर्धारित गणवेश में कॉलेज में आना अनिवार्य है।
8. पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यार्थियों तथा ऐसे छात्र/छात्रा जो किन्हीं कारणों वश परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों अर्थात् ड्राप किया हो, उनका प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगा।
9. विद्यार्थियों और उनके माता-पिता, कॉलेज के विद्यार्थियों के सेवायोजकों, अलमनी एवं अध्यापकों से फीडबैक आमंत्रित किये जाते हैं। फीडबैक फार्म कॉलेज की वेबसाइट lbsdc.org.in पर उपलब्ध है।
10. कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी को कॉलेज की वेबसाइट पर लॉगिन एकाउंट दिया गया है। यह बटन होम पेज पर उपलब्ध है। इसे विलक करके विद्यार्थी अपने से सम्बन्धित कुछ सूचनायें प्राप्त कर सकते हैं।
11. कॉलेज की वेबसाइट पर 'Quick Navigation' सेक्षन में पढ़ाई हेतु कुछ महत्वपूर्ण खोत दिये गये हैं। विद्यार्थी इनका उपयोग कर सकते हैं।



श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोपाल

गोपाल जनपद के मुख्यालय पर प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्य समृति में इस कॉलेज की स्थापना श्री राजेन्द्र नाथ, आई0 ए0 एस0, तत्कालीन जिलाधिकारी, गोपाल के अथक प्रयासों से 2 अक्टूबर सन् 1966 को हुई। कॉलेज केवल कला संकाय के स्नातक स्तर से प्रारम्भ हुआ। इस समय कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं शिक्षा संकाय के अन्तर्गत कक्षायें चलती हैं। कॉलेज के बहुमुखी विकास का श्रेय विवेकशील छात्रों एवं प्रबुद्ध नागरिकों को है, जिनका संरक्षण कॉलेज को सदैव प्राप्त होता रहा है।

कॉलेज के अपने तीन परिसर में कला तथा वाणिज्य संकाय की कक्षायें, दान स्वरूप मिले भवन में शिक्षा संकाय की कक्षायें तथा शहीदे आजम भगत सिंह इण्टर कालेज के पास स्थित परिसर में विज्ञान संकाय की कक्षायें चलती हैं। विज्ञान परिसर में उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन/सम्पर्क केन्द्र है।

कॉलेज बी0ए0, एम0ए0, बी0एस-सी0, बी0सी0ए0, बी0एस-सी0 'गृह विज्ञान', बी0एस-सी0 'कृषि', एम0एस-सी0, बी0काम0, बी0बी0ए0, एम0काम0 तथा बी0एड0 उपाधियों के लिए डॉ राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध है। कॉलेज में निम्नलिखित विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है :—

कला संकाय

स्नातक स्तर (बी0 ए0) सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री कार्यक्रम/कोर्स

कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में निम्नलिखित विषयों में प्रवेश का विकल्प उपलब्ध है।

समूह-अ (भाषा/साहित्य)	समूह-ब (प्रायोगिक विषय)	समूह-स (सामाजिक विज्ञान)
1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. संस्कृत	1. भूगोल 2. मनोविज्ञान 3. शारीरिक शिक्षा (स्व वि. पो.) 4. गृहविज्ञान (स्व वि. पो.) 5. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	1. शिक्षा शास्त्र 2. अर्थशास्त्र 3. राजनीति शास्त्र 4. समाजशास्त्र 5. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास

नोट :- 1. उपरोक्त कार्यक्रमों / विषयों में प्रवेश एवं अध्यापन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं डॉ राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या के निर्देशानुसार होंगे। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अस्थायी दिशा निर्देश परिशिष्ट में संलग्न है।

2. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश एवं शिक्षण गत वर्ष के नियमानुसार होगा।

परास्नातक स्तर (एम0 ए0) द्विवर्षीय

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| 1. अर्थशास्त्र | 2. राजनीति शास्त्र | 3. हिन्दी साहित्य |
| 4. अंग्रेजी साहित्य | 5. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास | 6. भूगोल (स्व वि.पो.) |
| 7. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन (स्व वि.पो.) | 8. मनोविज्ञान (स्व वि.पो.) | |
| 9. समाज शास्त्र (स्व वि.पो.) | 10. शिक्षा शास्त्र (स्व वि.पो.) | |

नोट :- स्व वि.पो. का आशय स्व-वित्त पोषित से है।



विज्ञान संकाय

स्नातक स्तर (बी० एस-सी०) सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री कार्यक्रम/कोर्स

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एस०-सी० प्रथम सेमेस्टर में निम्नलिखित विषयों में प्रवेश का विकल्प उपलब्ध है।

समूह-अ	समूह-ब	समूह-स
1. भौतिक विज्ञान 2. गणित	1. रसायन विज्ञान 2. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	1. वनस्पति विज्ञान 2. जन्तु विज्ञान

बी० एस-सी० ‘गृह विज्ञान’ (स्व वि.पो.)

बी० सी० ए० (स्व वि.पो.)

बी० एस-सी० ‘कृषि’ (स्व वि.पो.)

परास्नातक स्तर (एम० एस-सी०) द्विवर्षीय

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. भौतिक विज्ञान (स्व वि० पो०) | 2. रसायन विज्ञान (स्व वि० पो०) | 3. गणित (स्व वि० पो०) |
| 4. जन्तु विज्ञान (स्व वि० पो०) | 5. वनस्पति विज्ञान (स्व वि० पो०) | |

वाणिज्य संकाय

स्नातक स्तर (बी० काम०) सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री कार्यक्रम/कोर्स

बी० बी० ए० (स्व वि.पो.)

परास्नातक स्तर (एम० काम०) द्विवर्षीय (स्व वि.पो.)

नोट :- एम० काम० पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु अहंता वाणिज्य में स्नातक उपाधि है।

शिक्षा संकाय

स्नातक स्तर (बी० एड०) (द्विवर्षीय)

बी० एड० में प्रवेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा।

(अनिवार्य विषय) स्नातक स्तर पर :

उन छात्र/छात्राओं के लिए जो सत्र 2021-22 में द्वितीय/तृतीय वर्ष में हैं-

कॉलेज में बी०ए०, बी०काम०, बी०एस-सी० द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं को ‘राष्ट्र गौरव’ विषय की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। जो छात्र/छात्रा बी०ए०, बी०काम०, बी०एस-सी० द्वितीय वर्ष में ‘राष्ट्र गौरव’ विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएं, वे इसकी परीक्षा तृतीय वर्ष में दे सकेंगे। जो छात्र/छात्रा ‘राष्ट्र गौरव’ विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे, उन्हें विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार उपाधि प्रदान नहीं की जायेगी।

प्रवेश हेतु नियम

- सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार UIN (Unique Identification Number) प्राप्त करने के पश्चात कॉलेज की वेबसाइट lbsdc.org.in पर प्रवेश हेतु वांछित समस्त सूचनायें भरने के बाद प्रिंटआउट प्राप्त करें और उसे समस्त संलग्नकों के साथ कॉलेज में जमा करें।
- स्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं परास्नातक पूर्वार्द्ध की कक्षाओं में समस्त प्रवेश पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों, भारांकों, आरक्षण नियमों व कटौती के आधार पर बनायी गई मेरिट से होंगे।
- बी०ए०, बी०काम०, बी०एस-सी० भाग दो व तीन तथा परास्नातक उत्तरार्द्ध में वही अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे जो डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, अयोध्या के नियमानुसार प्रवेश के अर्ह होंगे।



4. स्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं परास्नातक पूर्वार्द्ध की मेरिट सूची बनाते समय अन्तराल के वर्षों हेतु एक वर्ष के अन्तराल पर 5%, दो वर्ष के अन्तराल पर 8% तथा तीन वर्ष के अन्तराल पर 10% और तीन वर्ष से अधिक के अन्तराल पर 12% प्राप्तांकों की कटौती की जायेगी।

5. परास्नातक पूर्वार्द्ध की कक्षाओं में प्रवेश हेतु यह आवश्यक है कि छात्र/छात्रा ने जिन दो विषयों का चयन स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में किया है, उन्हीं में से किसी एक विषय में उसका प्रवेश सम्भव होगा।

6. प्रवेश, अध्यापकों व छात्रों के अनुपात को ध्यान में रखकर किया जायेगा। सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज में प्रवेश हेतु प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या (सीटों) का निर्धारण किया जा रहा है। इस सत्र के लिए निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश सम्भव हो सकेगा।

7. 1994 एवं इसके पश्चात् शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश में आरक्षण प्राप्त होगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की गई हो। इस हेतु वही प्रमाण पत्र मान्य होगा जो सम्बन्धित विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो तथा जिसकी पंजीयन संख्या प्रमाण पत्र पर अंकित हो। मूल प्रमाण पत्र को प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आरक्षण क्षैतिज रूप से होंगे :—

- | | |
|--|-----|
| क) शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए | 03% |
| ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/अविवाहित पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र/अविवाहित प्रपौत्री) के लिए | 02% |
| ग) 1. केवल भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में अपंग रक्षाकर्मी 2. युद्ध में शहीद/अपंग रक्षाकर्मी के पाल्य | 02% |
| घ) कारगिल में शहीद/विकलांग सैनिकों के आश्रित के लिए | 01% |
| ड) कश्मीर के विस्थापितों के लिए | 01% |

8. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) के अन्तर्गत आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार होगा। इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं घोषणा पत्र के अतिरिक्त सक्षम अधिकारी से प्राप्त परिवार की परिसम्पत्ति का प्रमाणपत्र की फोटोप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

9. प्रवेश में खेलकूद, स्काउट्स/गाइड्स, रोवर/रेंजर कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेड क्रास इत्यादि के लिए भारांक निम्न प्रकार दिये जायेंगे :—

अ) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता :—

- | | |
|--|-----|
| क) इन्डिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम आने पर | 03% |
| ख) इन्डिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय आने पर | 02% |
| ग) इन्डिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा तृतीय आने पर | 01% |

ब) एन०सी०सी०, एन०एस०एस० इत्यादि के लिए :—

- | | |
|--|-----|
| क) एन०सी०सी०-सी प्रमाण पत्र पाने वाले तथा जी-2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को | 03% |
| ख) एन०सी०सी०-बी प्रमाण पत्र पाने वाले तथा जी-1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को | 02% |
| ग) एन०सी०सी०-ए प्रमाण पत्र या एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को | 01% |
| घ) एन०एस०एस० के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा तथा दो कैम्प में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को | 03% |
| ड) एन०एस०एस० के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा तथा एक कैम्प में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को | 02% |
| च) एन०एस०एस० के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को | 01% |
| छ) स्काउट/गाइड्स, रोवर्स/रेंजर्स के राष्ट्रीय/राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को | 03% |
| ज) स्काउट/गाइड्स के राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी एवं रोवर्स/रेंजर्स के निपुण प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को | 02% |
| झ) स्काउट/गाइड्स के द्वितीय/तृतीय सोपान, ध्वनिपत्र या गुरुपद, रोवर्स/रेंजर्स के प्रवीण प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को | 01% |
| ऋ) रेड क्रास के एस०एफ०ए०/एस०एच०एन० प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को | 01% |
| ट) रेड क्रास के वी०एफ०ए०/वी०एच०एन० प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को | 02% |
| ठ) रेड क्रास के एम०एफ०ए०/एम०एच०एन० प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को | 03% |

(बिन्दु 9 के प्रतिशतों के साथ ”प्राप्तांकों के अधिकतम योग का” शब्द पढ़े जायेंगे।)

(अधिकतम भारांक योग्यता सूची में कुल प्राप्तांकों के अधिकतम योग के 06% से अधिक नहीं होगा।)



10. विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए (जिसमें पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी एवं पति होंगे) क्रमशः 05% एवं 05% स्थान सुरक्षित होंगे। इन पर प्रवेश ऐसे सभी आवेदकों की मेरिट सूची बनाकर किया जायेगा।

11. परास्नातक पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए इस कॉलेज के संस्थागत स्नातकों को स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों का 5% भारांक दिया जायेगा।

12. बैक पेपर की सुविधा बी०ए०, बी०एस-सी० एवं बी०काम० के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों को एक विषय/ ग्रुप में, बी० एड० एवं परास्नातक के छात्रों को एक प्रश्न पत्र में मिलेगी।

विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार ही छात्रों की बैक पेपर परीक्षा होगी तथा बैक पेपर की परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्रों के कॉलेज में प्रवेश भी विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार ही किये जायेंगे।

13. स्नातक भाग दो एवं तीन की कक्षाओं में ऐसे छात्र, जिनका परीक्षाफल विलम्ब से घोषित किया गया है उनका प्रवेश प्राचार्य/परीक्षा नियंत्रक द्वारा अंक पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर हो सकता है।

14. प्राचार्य किसी भी अभ्यर्थी को बिना कारण बताये प्रवेश देने से मना कर सकते हैं।

15. ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध अपने कॉलेज के प्रांगण में अथवा उसके बाहर किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े व दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध करने अथवा जिनके विरुद्ध कॉलेज के प्राचार्य या किसी प्राध्यापक एवं किसी कर्मचारी के प्रति अभद्र व्यवहार करने की शिकायत हो या सही प्रतीत होने वाला कोई आरोप लगाया गया हो, का प्रवेश सम्भव नहीं होगा।

16. ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली कक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करते हुए पकड़े गये हों उनका प्रवेश कॉलेज में सम्भव न होगा, परन्तु अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा दोषमुक्त किये जाने की दशा में सम्बन्धित कक्षा में स्थान उपलब्ध होने पर प्राचार्य प्रवेश के सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं।

17. (A) यदि किसी छात्र/छात्रा ने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में स्नातक भाग एक/परास्नातक पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसका प्रवेश संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में स्नातक भाग दो व तीन/परास्नातक उत्तरार्द्ध में सम्भव न होगा।

(B) सत्र 2020–21 तक स्नातक प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को कुल मिलाकर 6 वर्ष में स्नातक पूर्ण करना अनिवार्य है।

(C) प्रत्येक छात्र/छात्रा को परास्नातक परीक्षा 4 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है।

18. स्नातक परीक्षा जिसने एक बार उत्तीर्ण कर ली है उसका प्रवेश संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में स्नातक कक्षा में नहीं होगा। इसी प्रकार परास्नातक परीक्षा जिसने एक बार उत्तीर्ण कर ली है उसका प्रवेश संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में परास्नातक कक्षा में नहीं होगा।

19. प्राचार्य प्रवेश हेतु अपने स्तर से अन्य नियम बना सकते हैं जो विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियमों के प्रतिकूल न हों।

20. ऐसे अभ्यर्थी जिन पर कॉलेज का पिछला शुल्क या अन्य कोई देय राशि बकाया हो या जो किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों, उनका प्रवेश सम्भव न होगा।

21. जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश निषेध उपर्युक्त नियमों में किया गया है, वे आवेदन पत्र प्रेषित न करें। यदि कोई अभ्यर्थी तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो सही जानकारी प्राप्त होते ही उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बदले में उसको किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी तथा उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

22. प्रत्येक छात्र/छात्रा सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित Prerequisite की भली भाँति जाँच कर लें एवं योग्य होने पर ही आवेदन करें।

नोट- योग्यता के लिए परिशिष्ट का अध्ययन करें।



प्रवेश विधि-

स्नातक प्रथम सेमेस्टर तथा परास्नातक पूर्वार्द्ध में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जो योग्यता सूची (मेरिट) में आयेंगे । योग्यता सूची (मेरिट) कॉलेज के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी ।

योग्यता सूची में शामिल अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में प्रवेश ले लें । प्रवेश के समय अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ संलग्न छाया प्रतियों की मूल प्रतियां भी प्रवेश समिति के समक्ष प्रदर्शित करनी होंगी । सामान्यतः अभ्यर्थियों को निम्न प्रपत्र प्रवेश के लिए लाने होंगे ।

1. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के अंक पत्र व प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु उक्त के अतिरिक्त स्नातक के सभी वर्षों के अंक पत्र ।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति व आय प्रमाण पत्र (यदि अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा करता है ।)
3. अन्तिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र ।
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ।
5. भारांक के दावे की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र ।
6. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) के अन्तर्गत आरक्षण के पात्र अभ्यर्थी स्वयं घोषणा पत्र व सक्षम अधिकारी से प्राप्त परिवार की परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र ।
7. यदि इण्टरमीडिएट/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्तराल है तो उस अवधि में इस कॉलेज में प्रवेश न लेने, नियमावली एवं निर्देशिका के अनुसार प्रवेश निषेध न होने तथा उसके सच्चरित्र रहने का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र ।
8. परास्नातक पूर्वार्द्ध में प्रवेश के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, प्रवजन प्रमाण पत्र ।
9. जिन अभ्यर्थियों ने पिछली अन्तिम परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है । उन्हें अपने क्षेत्र के SDM या Dy SP या किसी प्राचार्य द्वारा दिया गया ऐसा चरित्र प्रमाणपत्र जो 3 माह से पूर्व का न हो ।

स्नातक भाग दो व तीन तथा परास्नातक उत्तरार्द्ध में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को कॉलेज की वेबसाइट lbsdc.org.in पर प्रवेश हेतु वांछित समस्त सूचनायें (डॉ राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार UIN (Unique Identification Number) सहित) भरने के पश्चात प्रिंटआउट प्राप्त कर वांछित संलग्नकों सहित सम्बन्धित प्रवेश समिति के समक्ष निम्न मूल प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा—

1. गत वर्ष का अंक पत्र
2. स्थानान्तरण व चरित्र प्रमाण पत्र (यदि योग्यता प्रदायी परीक्षा अन्य संस्था से उत्तीर्ण की है)
3. आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना जाति व आय प्रमाण पत्र ।

यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से इस कॉलेज में स्थानान्तरण कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुलपति/कुलसचिव, डॉ राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

नोट : 1. अभ्यर्थी एक ही प्रकार की अपनी कम से कम 10 रंगीन (Coloured) फोटो पासपोर्ट साइज में बनवा लें । ये फोटो अद्यतन हों । इन फोटो की आवश्यकता विभिन्न समयों पर होगी । सभी फोटो प्रवेश लेने के समय लायें । आवश्यकतानुसार इनका प्रयोग किया जायेगा ।

2. आरक्षण एवं प्रवेश में शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों/नियमों का पालन किया जाएगा ।

परिचय-पत्र :- प्रवेश के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी को परिचय-पत्र नियंता कार्यालय से प्राप्त करना होगा । परिचय-पत्र केवल सत्र 2021–2022 के लिए वैध होगा । कॉलेज के प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपना परिचय-पत्र सदैव अपने साथ रखना होगा तथा कॉलेज स्टाफ द्वारा मांगे जाने पर उसे तुरन्त दिखाना होगा । मांगे जाने पर परिचय-पत्र न दिखाने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा को अनुशासनहीनता का दोषी समझा जायेगा । परिचय-पत्र खो जाने पर पुनः परिचय-पत्र रु 50/- अर्थदण्ड देने पर बन सकेगा । परिचय-पत्र पर नियंता के हस्ताक्षर हेतु मुख्य नियंता द्वारा निर्गत निर्देश प्रभावी होंगे ।



प्रवेश शुल्क कक्षावार (रूपये में)

शासन/विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क परिवर्तन की दशा में परिवर्तित शुल्क देय होगा ।
स्नातक स्तर

कक्षा	वर्ग	बिना प्रायोगि	प्रति प्रायोगिक
बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0काम0 प्रथम वर्ष	छात्र	3100	290
	छात्रा	2978	290
बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0काम0 द्वितीय वर्ष	छात्र	2400	240
	छात्रा	2278	240
बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0काम0 तृतीय वर्ष	छात्र	2900	240
	छात्रा	2778	240
बी0 एड0 प्रथम वर्ष	छात्र/छात्रा	5830	प्रतिवर्ष
बी0 एड0 द्वितीय वर्ष	छात्र/छात्रा	6080	प्रतिवर्ष

- नोट :- 1. शारीरिक शिक्षा तथा गृह विज्ञान स्व वित्त पोषित विषय है । स्नातक प्रथम वर्ष में इनका चयन करने पर विद्यार्थी को 1500 रु. शारीरिक शिक्षा तथा 2000 रु. गृह विज्ञान की फीस प्रतिवर्ष (प्रायोगिक सहित) अतिरिक्त जमा करनी होगी ।
2. बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0एस0सी0–गृह विज्ञान, बी0एस0सी0–कृषि स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम हैं ।
3. विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क प्रति सेमेस्टर देय होगा तथा डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या अथवा शासन द्वारा शुल्क में वृद्धि की जा सकती है । शुल्क में वृद्धि होने पर बढ़ा हुआ शुल्क छात्र/छात्राओं द्वारा अनिवार्य रूप से देय होगा ।

परास्नातक स्तर पर (अनुबानित विषय)

कक्षा	छात्र	छात्रा
एम0 ए0 पूर्वार्द्ध	2629	2459
एम0 ए0 उत्तरार्द्ध	3079	2909

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0एस0सी0–गृह विज्ञान, बी0एस0सी0–कृषि – ‘प्रथम सेमेस्टर’
एम0 काम0 पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध
एम0 एस–सी0 पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध – गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान
एम0 एस–सी0 पूर्वार्द्ध – जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान
एम0 ए0 पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध – समाज शास्त्र, भूगोल, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन, मनोविज्ञान
एम0 ए0 पूर्वार्द्ध शिक्षा शास्त्र

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुल्क हेतु सम्बन्धित विभाग में सम्पर्क करें ।

- नोट :- 1. कॉलेज में जमा किया गया कोई भी शुल्क किसी भी दशा में वापस न हो सकेगा । सत्र के मध्य में कॉलेज से स्थानान्तरित अभ्यर्थियों का भी शुल्क वापस नहीं होगा ।
2. अनुसूचित जाति के छात्रों को भी सम्पूर्ण शुल्क जमा करना होगा जिसकी प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जायेगी ।



पुस्तकालय एवं प्रयोगात्मक जमा राशि की वापसी-

किसी उपाधि के कोर्स की समाप्ति पर कॉलेज छोड़ने के पश्चात पुस्तकालय जमा धनराशि (काशनमनी) के 2/3 भाग की वापसी हेतु आवेदन पत्र आगामी वर्ष के दिसम्बर माह तक स्वीकार किये जायेंगे। उक्त अवधि में जिस राशि की वापसी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त न होंगे, वह धनराशि वापस न की जायेगी तथा वह कॉलेज को लैप्स हो जायेगी। काशन मनी की वापसी निम्न शर्तों के अन्तर्गत होगी।

1. छात्र/छात्रा ने पुस्तकालय से ली गई पुस्तकों को घोषित तिथि तक पुस्तकालय को वापस कर दिया हो।
2. छात्र/छात्रा किसी कोर्स की अन्तिम परीक्षा पास करके अथवा अन्य कारणों से कॉलेज छोड़ रहा/रही हो।
3. छात्र/छात्रा को निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें उस कॉलेज को देय धन, सामग्री तथा पुस्तकें आदि जमा कर देने का प्रमाण पत्र देना होगा।
4. उक्त प्रार्थना पत्र में प्रत्येक वर्ष की कक्षा के साथ कॉलेज छात्र संख्या लिखना होगा।
5. उक्त प्रार्थना पत्र को कार्यालय में जमा करना होगा जिस पर कार्यालय सहायक वह माह अंकित करेगा जिसमें प्रार्थी को रकम का भुगतान भेजे जाने की सम्भावना होगी।
6. जमा राशि की वापसी चेक द्वारा की जायेगी।

विषय परिवर्तन- प्रवेश के समय सोच समझ कर विषयों का चयन करें। बाद में विषय परिवर्तन सम्भव न होगा।

उपरिथित एवं परीक्षायें- कॉलेज का कोई भी छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय की परीक्षा में तब तक सम्मिलित न हो सकेगा/सकेगी, जब तक वह—

1. प्रत्येक विषय में पूरे सत्र में कम से कम 75 प्रतिशत उपरिथित प्राप्त नहीं करता/करती।
2. समस्त देय निश्चित तिथि तक कार्यालय में जमा नहीं कर देता/देती।
3. कॉलेज में उसका व्यवहार सन्तोषजनक नहीं पाया जाता।

पुस्तकालय- कॉलेज से प्राप्त परिचय—पत्र पर बारकोड अंकित है। यही परिचय—पत्र पुस्तकालय कार्ड का भी काम करेगा। बारकोड को नष्ट होने से बचायें।

पुस्तकालय से प्रत्येक विद्यार्थी को दो पुस्तकें ही दी जा सकेंगी। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों को विद्यार्थी कॉलेज की वेबसाइट पर Search Book Available in Library बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।

परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व सभी पुस्तकें जमा करके पुस्तकालय से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, तभी प्रवेश पत्र निर्गत हो सकेगा। यदि छात्र/छात्रा परीक्षाकाल में पुस्तकें अध्ययन हेतु रखना चाहता/चाहती है तो उसे उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के निर्देशानुसार पुस्तकों के पूर्ण मूल्य के अतिरिक्त 15 प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप में जमा करना होगा। पुस्तकें वापस करने पर 10 रु0 की कटौती सेवा शुल्क एवं पुस्तकों के रखरखाव हेतु की जायेगी।

पिछड़ा वर्ग छात्रावास- कॉलेज में पिछड़े वर्ग के छात्रों की आवासीय सुविधा हेतु छात्रावास उपलब्ध है। जिन छात्रों को छात्रावास की सुविधा चाहिये वे छात्रावास अधीक्षक से सम्पर्क कर फार्म प्राप्त कर सकते हैं। छात्रावास में नियमों का पालन एवं उच्चकोटि का अनुशासन बनाये रखना अनिवार्य होगा।

खेल-कूद- ‘स्वरथ शरीर में ही स्वरथ मस्तिष्क निवास करता है।’ इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य अनिवार्य है। वर्तमान में खेल मनोरंजन एवं व्यक्तिगत मन बहलाव के साधन से ऊपर उठकर अब प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है।

कॉलेज में शारीरिक स्वास्थ्य हेतु व्यायाम, आउटडोर एवं इनडोर खेलों की समुचित व्यवस्था है। जो विद्यार्थी खेलकूद में रुचि रखते हैं उन्हें योग्य प्राध्यापक के माध्यम से खेलों की सुविधा प्रदान की जाती है। इच्छुक छात्र/छात्राएं क्रीड़ा प्रभारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

रोवर्स-रेंजर्स (स्काउट-गाइड)— ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल लार्ड बेडेन पॉवेल ने 1907 में स्काउटिंग प्रारम्भ की। भारत में स्काउटिंग की शुरुआत 1909 में हुई, जब कैप्टन टी0 एच0 बेकर ने बैंगलोर में पहला स्काउट ट्रुप स्थापित किया। 1950 में ‘भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स’ नाम से संगठन अस्तित्व में आया। यह संगठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है और पूरी तरह से स्वैच्छिक, गैर राजनीतिक और धर्म निरपेक्ष संगठन है। स्काउटिंग एक आन्दोलन है, जिसका लक्ष्य है सक्षम नेतृत्व, प्रभावी संचार, प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग और कुशल प्रबंधन के माध्यम से युवाओं को मूल्य आधारित, आकर्षक और चुनौतीपूर्ण युवा कार्यक्रम प्रदान करना।



कॉलेज में रोवर्स एवं रेंजर्स कार्यक्रम को सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु छात्र एवं छात्राओं की अलग-अलग इकाइयाँ हैं। इच्छुक छात्र एवं छात्राएं रोवर लीडर से सम्पर्क स्थापित करके रस्काउटिंग गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम- छात्र एवं छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी व्यवस्था है। इसके लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम/समारोह समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

छात्र समितियाँ— कॉलेज में अनुशासन बनाये रखने, शैक्षिक वातावरण का श्रजन करने, प्रशासन को सहयोग प्रदान करने एवं कॉलेज में आयोजित कार्यक्रमों में रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में निम्नलिखित समितियाँ होंगी जिनमें विभिन्न कक्षाओं में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले अध्ययनरत् विद्यार्थी भी नामित किये जायेंगे।

1. क्रीड़ा समिति 2. छात्र कल्याण समिति 3. वाचनालय समिति 4. पत्रिका समिति
 5. पुस्तकालय समिति 6. सांस्कृतिक कार्यक्रम/समारोह समिति 7. परिसर व्यवस्था समिति

अनुशासन— कॉलेज में अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से तथा प्राचार्य को सहयोग एवं सुझाव देने के लिए नियंता परिषद के स्थापित किये जाने की व्यवस्था है।

छात्रों/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राचार्य, सम्बन्धित संकाय के प्राध्यापकों एवं नियंता परिषद द्वारा समय-2 पर दी गई आज्ञाओं तथा कॉलेज प्रशासन एवं प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्धारित किये गये नियमों का पालन करें। इनका उल्लंघन करने पर उन्हें दण्डित किया जायेगा। दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता के लिए दोषी पाये गये छात्रों को अपराध की गुरुता के अनुरूप निम्नांकित में से एक या एक से अधिक दण्ड दिये जा सकते हैं।

1. अर्थ दण्ड रु0 150.00
 2. निलम्बन 10 सप्ताह तक (निलम्बन की अवधि में छात्र, किसी भी कक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्राप्त नहीं कर सकेगा।)
 3. निष्कासन कम से कम एक सत्र के लिए

कॉलेज की दीवारों एवं फर्नीचर को गंदा करना व तोड़फोड़ करके उस पर कुछ लिखना अनुशासनहीनता समझा जायेगा । कॉलेज की दीवारों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर/बैनर इत्यादि लगाना पूर्णतयः वर्जित है जो छात्र ऐसा करते हुए पाये जायेंगे अथवा जिनके नाम के पोस्टर/बैनर लगे होंगे, उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । अतः कॉलेज के हित व सम्मान को ध्यान में रखते हुये कृपया इस प्रकार के कृत्यों को कदापि न करें ।

कॉलेज प्रांगण में बिना आज्ञा किसी बाहरी व्यक्ति एवं मित्र को आमंत्रित करना, छात्र/छात्राओं के साथ दुर्व्यहार करना, अध्यापकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अविनय या अपनी किसी बात को मनवाने के उद्देश्य से सहयोगियों को प्रशासन के विरुद्ध भड़काना, प्रदर्शन व आन्दोलन करना आदि अनुशासन का गम्भीर उलंघन माना जायेगा। इस हेतु दोषी पाये जाने वाले छात्रों को उपर्युक्त दण्ड के अतिरिक्त उनके स्कालर रजिस्टर, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में भी इन तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा। जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अतः कॉलेज में अनुशासित छात्र/छात्रा का आचरण करें।

डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय के प्रावधान एवं अध्यादेश कॉलेज में भी लागू हैं। अवधि विश्वविद्यालय मादक द्रव्य (निवारण, प्रतिषेध एवं शास्ति) अध्यादेश कॉलेज परिसर में भी प्रभावी है। जिसके अनुसार कॉलेज में मादक द्रव्यों यथा-सिगरेट, बीड़ी, चुरुक्क, तम्बाकू, गुटखा, खैनी, पान मसाला, मदिरा, गांजा, भांग, चरस, हेरोइन, हशीश एवं अन्य ऐसे सभी मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है, जिन्हें विभिन्न कानूनों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घोषित किया गया है अथवा जिन मादक पदार्थों का विक्रय सरकारी लाइसेंस प्राप्त करके ही किया जा सकता है।

कॉलेज के किसी छात्र/छात्रा के पास से निषिद्ध मादक द्रव्य पाये जाने, सेवन करते हुए या धूम्रपान करते हुए पाये जाने, परिसर को गन्दा करते हुए पकड़े जाने पर प्रथम बार में ₹0 50/- अर्थदण्ड तथा द्वितीय बार ऐसा करने पर ₹0 100/- अर्थदण्ड लगाया जायेगा। इसके पश्चात पुनः ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर कॉलेज से निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी।

ऐगिंग- कॉलेज में ऐगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। जो छात्र/छात्रा नवागत छात्रों/छात्राओं की ऐगिंग करते हुए पाये जायेंगे/उनके विरुद्ध इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होगी और शिकायत जांचोपरान्त सही पायी जाती है तो ऐगिंग करने वाले छात्रों/छात्राओं के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कॉलेज से उनका निष्कासन भी किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से ऐसे छात्रों/छात्राओं के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

अतः नवागत छात्रों/छात्राओं के प्रति स्नेहपूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार करें तथा कॉलेज में उनकी कठिनाइयों के निवारण में वरिष्ठ विद्यार्थी होने के नाते सहयोग करें।



राष्ट्रीय सेवा योजना- राष्ट्रीय सेवा योजना युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। एन0एस0एस0 का एकमात्र उद्देश्य युवाओं को सामुदायिक सेवा प्रदान करने में अनुभव प्रदान करना है। इसका आदर्श वाक्य है 'मैं नहीं बल्कि तुम'। कॉलेज में एन0एस0एस0 की चार इकाइयाँ हैं। जिन छात्रों और छात्राओं में राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा हो, उनके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है।

इच्छुक छात्र एवं छात्राएं कार्यक्रमाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके एन0एस0एस0 के सदस्य बन सकते हैं।

नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0)- दि नेशनल कैडेट कोर अधिनियम 1948 संसद अधिनियम संख्या XXXI द्वारा लागू किया गया। एन0सी0सी0 सशस्त्र बलों की युवा शाखा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में संवारने के कार्य में संलग्न है। कैडेटों को छोटे हथियारों और परेडों में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद कैडेटों के पास सक्रिय सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं है। कॉलेज में एन0सी0सी0 अधिकारी के नेतृत्व में एन0सी0सी0 के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं को उनके प्रमाणपत्र के आधार पर रक्षा सेवा में सीधे भर्ती में वरीयता प्राप्त होती है। कॉलेज एन0सी0सी0 के कई कैडेट आज उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। जिसमें भारतीय थल सेना में ले0 कर्नल अनुपम हजेला- 7 J&K Rif., श्री मनीष मिश्र असिस्टेंट कमाण्डेंट, सी0आर0पी0एफ0, श्री विक्रान्त सिंह मुख्य सुरक्षा अधिकारी, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के नाम प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त अनेक 'सी' प्रमाणपत्र धारक, उ0प्र0 पुलिस सेवा, प्राथमिक शिक्षा, इंटर कॉलेज तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर कॉलेज के एन0सी0सी0 कैडेट्स की भागीदारी रही है, इस दौरान चयनित कैडेट्स को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, सेना प्रमुख आदि से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। चयनित कैडेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अन्तर्गत विभिन्न देशों की यात्राओं पर भी भेजे जाते हैं। इच्छुक छात्र एवं छात्राएं एन0सी0सी0 अधिकारी से सम्पर्क करें।

रेड क्रॉस- रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1863 में सर हेनरी ड्यूनान्ट ने जेनेवा में की। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (IRCS) की स्थापना 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी अधिनियम के तहत की गई थी और इसे 1920 के संसद अधिनियम XV के तहत शामिल किया गया। भारतीय रेड क्रॉस का मिशन हर समय मानवीय गतिविधियों के सभी प्रकारों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और पहल करना है ताकि मानव पीड़ा को कम से कम किया जा सके और यहां तक कि रोका जा सके और इस प्रकार शांति के लिए अधिकतम जन्मजात जलायु बनाने में योगदान दिया जा सके। कॉलेज में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी की इकाई कार्यरत है। यह इकाई भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी के मिशन को पूरा करने का कार्य कर रही है। कॉलेज इकाई द्वारा दिया गया प्रशिक्षण एवं प्रमाणपत्र छात्रों एवं छात्राओं के भावी जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी है। रेड क्रॉस में प्रशिक्षण के इच्छुक छात्र एवं छात्राएं रेड क्रॉस प्रभारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

पत्रिका- छात्र/छात्राओं में सूजनात्मकता के विकास के लिए कॉलेज में प्रतिवर्ष पत्रिका "वागर्थ" का प्रकाशन होता है, जिसके लिये छात्र/छात्रायें अपने मौलिक लेख, कविता, कहानी आदि प्रकाशन हेतु मुख्य सम्पादक द्वारा निर्देशित सूचनाओं के अनुसार समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रिका के सम्पादन का दायित्व सम्पादक मण्डल का है।

रेलवे कन्सेशन- कॉलेज के छात्र/छात्राओं को निम्नांकित कार्यों के लिये ही रेलवे कन्सेशन दिया जायेगा :-

1. लम्बे अवकाश में कॉलेज से घर जाने एवं वापस आने के लिये।
2. निकटतम रेलवे स्टेशनों के लिये मासिक सीजनल टिकट।
3. कम से कम दस छात्रों के समूह के शैक्षणिक पर्यटन हेतु जिसका नेतृत्व कोई प्राध्यापक करेगा।

रेलवे कन्सेशन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य के लिये रेलवे कन्सेशन कॉलेज द्वारा नहीं दिया जायेगा।

यदि कोई तथ्यों को छिपाकर रेलवे कन्सेशन प्राप्त भी कर लेता है, तो उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा तथा दण्ड का भागी होगा।

शोध- कॉलेज में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत कई विद्यार्थी शोध कर रहे हैं तथा कई अभ्यर्थियों को पी-एच0 डी0 की उपाधि भी मिल चुकी है।

सूचना एवं नोटिस- विद्यार्थियों को नियमित रूप से सूचना पट/वेबसाइट देखते रहना चाहिए। जिससे उन्हें शासन-प्रशासन सम्बन्धी जानकारी बराबर प्राप्त होती रहे।

छात्र-छात्राओं से यह अपेक्षित है कि यदि उन्हें अध्ययन सम्बन्धी किसी प्रकार की कठिनाई है और उसको दूर करने का उनके पास कोई सुझाव है तो वे प्राचार्य को उससे लिखित रूप में अवगत करायें। सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की सिफारिश कराने का प्रयास न करें।



छात्रवृत्ति— कॉलेज द्वारा संस्थागत छात्र-छात्राओं को निम्नलिखित छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

1. “श्रीमती राम प्यारी देवी छात्रवृत्ति” डॉ बालक राम द्वारा प्रदत्त एम. ए. उत्तरार्द्ध में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
2. “डॉ जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव छात्रवृत्ति” डॉ जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा प्रदत्त एम. ए. उत्तरार्द्ध में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
3. “श्रीमती शैलजा देवी बन्धोपाध्याय छात्रवृत्ति” श्री तरुण चन्द्र बनर्जी द्वारा प्रदत्त एम. ए. उत्तरार्द्ध में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
4. “पं० शान्ति प्रसाद शुक्ल छात्रवृत्ति” श्री गोपाल कृष्ण शुक्ल द्वारा प्रदत्त एम. ए. उत्तरार्द्ध (हिन्दी) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
5. “श्रीमती शैलजा देवी बन्धोपाध्याय छात्रवृत्ति” श्री तरुण चन्द्र बनर्जी द्वारा प्रदत्त बी० एस०-सी० भाग ३ में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
6. “राय बहादुर पंडित बद्री नरायन मिश्र छात्रवृत्ति” श्री गोपाल कृष्ण शुक्ल द्वारा प्रदत्त बी० एस०-सी० भाग ३ में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
7. “चैतन्य भारतीय मेमोरियल छात्रवृत्ति” श्री पी० पी० श्रीवास्तव द्वारा प्रदत्त बी० एस०-सी० भाग ३ में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
8. “श्रीमती चन्द्रकान्ती देवी श्रीवास्तव मेमोरियल छात्रवृत्ति” श्री अम्बिका प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा प्रदत्त बी० एस०-सी० भाग ३ में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
9. “श्रीमती चन्दो देवी श्रीवास्तव मेमोरियल छात्रवृत्ति” श्री पी० पी० श्रीवास्तव द्वारा प्रदत्त बी० काम० भाग ३ में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
10. “श्रीमती सुन्दर कुमारी शुक्ल छात्रवृत्ति” श्री गोपाल कृष्ण शुक्ल द्वारा प्रदत्त बी० ए० भाग ३ (भूगोल) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
11. “श्रीमती तुलसी देवी छात्रवृत्ति” श्री गोपाल कृष्ण शुक्ल द्वारा प्रदत्त बी० ए० भाग ३ (संस्कृत) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
12. “छात्रसंघ छात्रवृत्ति” छात्रसंघ द्वारा प्रदत्त स्नातक रस्तर पर सभी छात्रों में सर्वोच्च अंक पाने वाले को ।
13. श्री सत्यनारायण गोयल द्वारा प्रदत्त “स्व० राजकपूर गोयल स्मारक छात्रवृत्ति” एम० काम० भाग-दो के ऐसे संस्थागत छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी जिसने एम०काम० भाग-एक में प्रथम प्रयास में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं ।
14. श्री एस० बी० सिंह द्वारा प्रदत्त “श्रीमती मनोरमा सिंह स्मारक छात्रवृत्ति” एम० काम० प्रथम वर्ष के उस संस्थागत छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी जिसने बी०काम० में प्रथम प्रयास में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं ।
15. श्री सुदेश मल्होत्रा द्वारा प्रदत्त “श्री गुरुदेव सिंह मल्होत्रा स्मारक छात्रवृत्ति” बी० काम० भाग-दो के ऐसे संस्थागत छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी जिसने बी०काम० प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्रथम प्रयास में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं ।
16. श्री शम्भू दयाल अग्रवाल द्वारा प्रदत्त “स्व० श्रीमती मुन्नी देवी अग्रवाल स्मारक छात्रवृत्ति” बी० काम० भाग-एक के ऐसे संस्थागत छात्र/छात्रा को दी जायेगी जिसने इंटरमीडिएट की परीक्षा ठीक पूर्व वर्ष में संस्थागत रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो ।

प्रबन्ध समिति की विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना-

बी०ए०, बी०एस०-सी०, बी०एस०-सी० ‘गृह विज्ञान’, बी०एस०-सी० ‘कृषि’, बी०सी०ए०, बी०काम०, बी०बी०ए०, बी०ए८० पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने पर प्रति वर्ष, प्रति पाठ्यक्रम दो उच्चतम अंक (प्रथम प्रयास में) प्राप्त छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे ।

पदकों की सूची-

1. “श्रीमती शैलजा देवी बन्धोपाध्याय स्वर्ण पदक”—श्री तरुण चन्द्र बनर्जी द्वारा प्रदत्त बी० ए० भाग ३ में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
2. “श्री हनुमान प्रसाद वैद्य मेमोरियल स्वर्ण पदक”—डॉ के डॉ० वर्मा द्वारा प्रदत्त बी० एस०-सी० भाग ३ में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
3. “श्रीमती राम प्यारी देवी स्वर्ण पदक”—श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा द्वारा प्रदत्त बी० ए८० में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
4. “पं० शान्ति प्रसाद शुक्ल स्वर्ण पदक”—श्री गोपाल कृष्ण शुक्ल द्वारा प्रदत्त एम० ए० उत्तरार्द्ध में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।
5. “स्व० कृष्ण बिहारी सेठ स्मारक स्वर्ण पदक”—श्री आनन्द बिहारी सेठ द्वारा प्रदत्त बी० काम० में सर्वोच्च अंक (प्रथम प्रयास में प्रथम श्रेणी सहित) प्राप्त करने वाले संस्थागत विद्यार्थी को ।
6. “लाला देशराज अग्रवाल स्मारक स्वर्ण पदक”—श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा प्रदत्त — एम० काम० में सर्वोच्च अंक (प्रथम प्रयास में प्रथम श्रेणी सहित) प्राप्त करने वाले संस्थागत विद्यार्थी को ।
7. “प्रो० हरिशंकर श्रीवास्तव स्वर्ण पदक”—इतिहास परिषद द्वारा प्रदत्त एम० ए० उत्तरार्द्ध इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को ।



8. श्री एस० बी० सिंह द्वारा प्रदत्त “श्रीमती मनोरमा सिंह स्मारक स्वर्ण पदक” ऐसी संरथागत छात्रा को प्रदान किया जायेगा जिसने बी०काम० की तीनों वर्षों की परीक्षाओं में प्रथम प्रयास में छात्राओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हैं।

9. श्री बृजमोहन लाल बंसल द्वारा प्रदत्त “स्वर्णीय अम्बालाल स्मारक स्वर्ण पदक” एम.काम. भाग-दो की ऐसी संरथागत छात्रा को प्रदान किया जायेगा जिसने एम.काम. की दोनों वर्षों की परीक्षाओं में बिना किसी अवरोध के प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हैं।

अभिभावकों एवं संरक्षकों से निवेदन- अभिभावकों एवं संरक्षकों से निवेदन है कि प्राचार्य, नियंता एवं अध्यापक वर्ग से सम्पर्क बनाये रखें और अपने पुत्र/पुत्री/वार्ड की कुशलता, शैक्षिक प्रगति एवं आचरण के सम्बन्ध में उनसे समय-2 पर सूचनायें प्राप्त करते रहें। हम उनसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे अपने वार्ड द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कॉलेज का शैक्षिक मूल्यांकन करते रहें। यदि अभिभावक किसी प्राध्यापक की कार्य कुशलता के प्रति अपनी राय देना चाहते हों तो प्राचार्य को सूचित करने का कष्ट करें।

सतर्कता की आवश्यकता- प्रत्येक छात्र/छात्रा व उनके अभिभावक कभी भी अपनी कठिनाइयों के समाधान के लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से मिल सकते हैं। उन्हें ऐसे तत्वों से अवश्य सावधान रहना चाहिए जो उनके हितेषी बनकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने को तत्पर रहते हैं।

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय / सम्पर्क केन्द्र

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने अध्ययन/सम्पर्क केन्द्र के रूप में कॉलेज में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कई व्यवसायपरक पाठ्यक्रमों को चलाने की अनुमति दी है। इन पाठ्यक्रमों का लाभ दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे प्राप्त हो सकेगा। प्रवेश एवं जानकारी हेतु केन्द्र समन्वयक डॉ० जितेन्द्र सिंह, भौतिक विज्ञान विभाग से सम्पर्क स्थापित करें। मुक्त वि० वि० द्वारा निम्न पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं—
स्नातक- कला, वाणिज्य, विज्ञान, पर्यटन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, पुस्तकालय, एवं सूचना विज्ञान।

परास्नातक- हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्रा० इतिहास, म० एवं आ० इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान।

सामान्य डिप्लोमा- स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण, पर्यटन, ग्रामीण विकास, कार्यालय प्रबन्ध में कम्प्यूटर, इंटरनेट वेब साइट डिजाइनिंग, मेडिकल टेक्नीशियन, न्यूट्रीशियन।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा- पत्रकारिता एवं जनसंचार, मार्केटिंग एवं ई० विजनेस, वित्तीय प्रबन्ध, अनुवाद, शैक्षणिक प्रबन्ध।

सर्टीफिकेट कोर्स- पर्यटन, उपभोक्ता संरक्षण, शिशु पालन एवं पोषण, मानवाधिकार, पर्यावरण अध्ययन, श्रम विकास, आपदा प्रबन्धन, एच.आई.वी. एवं परिवार शिक्षा, महिला सशक्तीकरण एवं विकास।

प्रवेश जनवरी एवं जुलाई माह में होते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय का परीक्षा केन्द्र भी श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में रहता है।

गणवेश- 1. छात्राओं की ड्रेस (यूनीफार्म) स्टील ग्रे रंग का कुर्ता तथा सफेद रंग की सलवार व सफेद रंग का दुपट्टा निर्धारित है। स्वेटर/कार्डिंगन का रंग काला होना चाहिए।

2. छात्रों की ड्रेस (यूनीफार्म) स्टील ग्रे रंग की पैन्ट तथा सफेद रंग की शर्ट निर्धारित है। स्वेटर का रंग काला होना चाहिये।

3. प्रत्येक छात्र व छात्रा को निर्धारित गणवेश (यूनीफार्म) में कॉलेज में आना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें कॉलेज परिसर में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।

फीडबैक- विद्यार्थियों और उनके माता-पिता, कॉलेज के विद्यार्थियों के सेवायोजकों, अलमनी एवं अध्यापकों से फीडबैक आमंत्रित किये जाते हैं। फीडबैक फार्म कॉलेज की वेबसाइट lbsdc.org.in पर उपलब्ध हैं।

Student Login- कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी को वेबसाइट पर लॉगिन एकाउण्ट दिया गया है। यह बटन होम पेज पर उपलब्ध है। इसे किलक करके विद्यार्थी अपने से सम्बन्धित कुछ सूचनायें प्राप्त कर सकते हैं।

Quick Navigation- कॉलेज की वेबसाइट पर 'Quick Navigation' सेक्शन में पढ़ाई हेतु कुछ महत्वपूर्ण स्रोत दिये गये हैं। विद्यार्थी इनका उपयोग कर सकते हैं।

शासन एवं डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या से प्राप्त अद्यतन निर्देशों के क्रम में इस नियमावली एवं निर्देशिका में वर्णित नियमों में परिवर्तन कभी भी किया जा सकता है। प्राचार्य



श्री लाल बहादुर शास्त्री डिवी कालेज परिवार (फोन : 232994)

प्राचार्य

कला संकाय :-

मनोविज्ञान विभाग :-

1. डॉ० (श्रीमती) ममता शर्मा
3. डॉ० राज बहादुर चौधरी

हिन्दी विभाग :-

1. डॉ० शैलेन्द्र नाथ मिश्र
3. डॉ० जय शंकर तिवारी

भूगोल विभाग :-

1. डॉ० रंजन शर्मा
3. डॉ० अजीत कुमार मिश्र

राजनीति शास्त्र विभाग :-

1. डॉ० अनुल कुमार सिंह
3. डॉ० शैलेश कुमार

रक्षा एवं स्त्रातंजिक

1. डॉ० कृष्णा नन्द पाण्डेय

आध्ययन विभाग :-

3. डॉ० विश्व दीपक त्रिपाठी

संस्कृत विभाग :-

1. डॉ० मंशा राम वर्मा

अंग्रेजी विभाग :-

1. डॉ० वी.सी-एच.एन.के.श्रीनिवासा राव

समाज शास्त्र विभाग :-

1. डॉ० राम समुद्धि सिंह
2. डॉ० (श्रीमती) शशिबाला

इतिहास विभाग :-

3. डॉ० (श्रीमती) रघुनाथ श्रीवास्तव

अर्थशास्त्र विभाग :-

1. डॉ० दीना नाथ तिवारी

शिक्षा शास्त्र विभाग :-

3. डॉ० जितेन्द्र बहादुर पाल

1. डॉ० शिव शरण शुक्ल

2. डॉ० (श्रीमती) ममता शुक्ला

2. डॉ० (श्रीमती) दमयन्ती तिवारी
(विशेष अवकाश पर)

4. श्री पवन कुमार सिंह

2. श्री अवधेश कुमार वर्मा

4. डॉ० रामिन्त पटेल

2. डॉ० ऋषि केश सिंह

2. डॉ० राज बहादुर सिंह बघेल

4. डॉ० धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला

वाणिज्य संकाय :-

वाणिज्य विभाग :-

1. डॉ० विनोद प्रताप सिंह
2. डॉ० विजय कुमार अग्रवाल
3. डॉ० राजीव कुमार अग्रवाल
4. डॉ० दलीप कुमार सिंह
5. डॉ० अरुण प्रताप सिंह



विज्ञान संकाय :-

भौतिक विज्ञान विभाग :-

1. डॉ० जितेन्द्र सिंह
2. श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव
3. डॉ० देव नारायण पाण्डेय
4. डॉ० पुष्पमित्र मिश्र
5. डॉ० शरद चन्द्र मिश्र
6. श्री बृजेन्द्र बहादुर विश्वकर्मा
7. डॉ० मनोज कुमार मिश्र

गणित विभाग :-

1. डॉ० संजय कुमार पाण्डेय
2. श्री मनीष शर्मा

3. डॉ० विवेक कुमार खरे
1. डॉ० मुकुल सिन्हा
2. श्री शिशिर कुमार त्रिपाठी
1. डॉ० श्रवण कुमार श्रीवास्तव
2. डॉ० (श्रीमती) रेखा शर्मा

शिक्षा संकाय :-

शिक्षा (बी.एड.) विभाग :-

1. डॉ० श्याम बहादुर सिंह
2. डॉ० संदीप कुमार श्रीवास्तव
3. डॉ० नीरज यादव
4. श्री लोहांश कुमार कल्याणी
5. डॉ० (श्रीमती) चमन कौर

कार्यालय :-

1. श्री सतीश कुमार दीक्षित, कार्यालय अधीक्षक
2. श्री हनुमान प्रसाद यादव, वरिष्ठ लिपिक
3. डॉ० (कु.) सन्ध्या सिंह, नैत्यिक लिपिक
4. डॉ० (श्रीमती) निहारिका श्रीवास्तव, नैत्यिक लिपिक
5. श्री राज कुमार माथुर, नैत्यिक लिपिक/लेखाकार
6. श्रीमती मोइना खातून, नैत्यिक लिपिक

पुस्तकालय :-

1. डॉ० अशोक कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष
2. श्री राम भवन सिंह, कैटलागर
3. श्री राम कुमार, पुस्तकालय लिपिक
4. श्री देव प्रकाश, पुस्तकालय लिपिक

प्रयोगशाला सहायक :-

1. श्री अर्जुन वर्मा, रसायन विज्ञान
2. श्री मुक्ता राम, वनस्पति विज्ञान
3. श्री विजय सिंह, जन्तु विज्ञान
4. श्री अमरजीत वर्मा, बी.एड. विभाग

चतुर्थ श्रेणी :-

1. श्री सन्तोष कुमार
2. श्री प्रेम कुमार
3. श्री अयोध्या प्रसाद
4. श्री सुखदेव प्रसाद
5. श्री शिव कुमार
6. श्री मोहन
7. श्री कैलाश कुमार वर्मा
8. श्रीमती रीता दूबे
9. श्री बाबू लाल
10. श्री पवन कुमार पाण्डेय
11. श्री छेदी राम चतुर्वेदी
12. श्री गुरु प्रसाद
13. श्री देवेन्द्र नाथ
14. श्री शरद कुमार पाठक



प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम व पते की सूची

1. श्री मार्कण्डेय शाही

आई.ए.एस., जिलाधिकारी, गोण्डा
अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति

3. श्री उमेश शाह

सचिव, प्रबन्ध समिति
मेसर्स- कमल मोटर्स, सरकुलर रोड, गोण्डा

5. डॉ० कृष्ण देव चर्मा

ऑफिटर
नौशहरा, बेलसर रोड, गोण्डा

7. मा० कुंवर अजय प्रताप सिंह

“विधायक”
बरगदी कोट, कर्नलगंज, गोण्डा

9. डॉ० (श्रीमती) अनीता मिश्रा

पटेल नगर
गोण्डा

11. श्री पंकज अग्रवाल

आयकर सलाहकार
रानी बाजार, गोण्डा

13. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

सिमरन सॉल्युशन्स
कचेरी रोड, गोण्डा

15. श्रीमती सुषमा लिपाठी

कैलाशपुरी
गोण्डा

2. सुश्री वर्षा सिंह

उपाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति
सरकुलर रोड, गोण्डा

4. श्री कैलाश नाथ चर्मा

सहायक सचिव
निकट- खैरा भवानी मन्दिर, बड़गांव-गोण्डा

6. श्री विजय कृष्ण पाण्डेय

कोषाध्यक्ष
मेसर्स- शर्मा पेट्रोल पम्प, गोण्डा

8. श्री सूर्य नारायण तिवारी

आवास विकास कालोनी
गोण्डा

10. श्री रवि चन्द्र लिपाठी

एडवोकेट
मो० राधाकुण्ड, गोण्डा

12. श्री विष्णु कुमार मोदी

137, दीपशिखा
महारानीगंज, बड़गांव, गोण्डा

14. डॉ० आलोक अग्रवाल

आशीर्वाद हॉस्पिटल
स्टेशन रोड, गोण्डा

16. डॉ० वन्दना सारस्वत

प्राचार्य, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज
गोण्डा



मुख्य अधिकारी गण

1.	डॉ० अतुल कुमार सिंह	समारोह अधिकारी
2.	डॉ० बिनोद प्रताप सिंह	संयोजक, प्रवेश गुणांक समिति
3.	डॉ० (श्रीमती) अमन चन्द्रा	संयोजक, महिला उत्तीर्ण निरोधक प्रकोष्ठ
4.	मेजर (डॉ०) कृष्ण नब्द पाण्डेय	संयोजक, छात्र कल्याण समिति
5.	डॉ० शिव शरण शुक्ल	वरिष्ठ कार्यक्रमाधिकारी, एन०एस०एस०
6.	डॉ० राज बहादुर सिंह बघेल	क्रीड़ा अधिकारी एवं रोवर लीडर
7.	डॉ० राजीव कुमार अग्रवाल	ऐड क्रास अधिकारी, संयोजक, कॉलेज आटोमेशन कमेटी
8.	डॉ० जितेन्द्र सिंह	मुख्य नियंता, छात्रावास अधीक्षक, जिला समन्वयक, एन०एस०एस०, समन्वयक, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, नोडल ऑफीसर, नवीन स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम
9.	डॉ० राम समुद्दा सिंह	समन्वयक, आन्तरिक गुणवत्ता आकलन प्रकोष्ठ (IQAC), नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) पुस्तकालयाध्यक्ष
10.	डॉ० अशोक कुमार	समन्वयक/प्रभारी, शोध निर्देशन एवं प्रबन्धन समिति, सम्पादक, वार्गर्थ पत्रिका, समय सारिणी प्रभारी, मीडिया प्रभारी
11.	डॉ० शैलेन्द्र नाथ मिश्र	कार्यक्रमाधिकारी, एन० एस० एस०
12.	डॉ० (श्रीमती) रेखा शर्मा	कार्यक्रमाधिकारी, एन० एस० एस०
13.	श्री लोहांस कुमार कल्याणी	नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति, कार्यक्रमाधिकारी, एन० एस० एस०
14.	श्री अवधेश कुमार वर्मा	एन०सी०सी० अधिकारी
15.	डॉ० पुष्यमित्र मिश्र	छात्रावास वार्डन (पिछड़ा वर्ग छात्रावास)
16.	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	

महत्वपूर्ण समितियाँ

प्रवेश गुणांक समिति

1.	डॉ० बिनोद प्रताप सिंह, एसोशिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग	संयोजक
2.	डॉ० दीना नाथ तिवारी, एसोशिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
3.	डॉ० कृष्ण नब्द पाण्डेय, एसोशिएट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातंजिक अध्ययन विभाग	सदस्य
4.	डॉ० राजीव कुमार अग्रवाल, एसोशिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग	सदस्य
5.	डॉ० अभय कुमार श्रीवास्तव, एसोशिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
6.	डॉ० राम समुद्दा सिंह, एसोशिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग	सदस्य
7.	डॉ० श्रवण कुमार श्रीवास्तव, एसोशिएट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य
8.	डॉ० वी०सी०-एच०एन०के० श्रीनिवासा राव, एसोशिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
9.	डॉ० मंदा राम वर्मा, एसोशिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग	सदस्य
10.	डॉ० (श्रीमती) श्रीबाला, एसोशिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग	सदस्य
11.	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग	सदस्य
12.	डॉ० अजीत कुमार मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग	सदस्य
13.	डॉ० विश्व दीपक त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातंजिक अध्ययन विभाग	सदस्य
14.	डॉ० (श्रीमती) ममता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग	सदस्य
15.	डॉ० देव नारायण पाण्डेय, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग	सदस्य

नियमावली एवं निर्देशिका

2021-22



प्राचार्य सलाहकार समिति

1. डॉ० अतुल कुमार सिंह, प्रभारी कला संकाय
3. डॉ० जितेन्द्र सिंह, प्रभारी विज्ञान संकाय

2. डॉ० बिनोद प्रताप सिंह, प्रभारी वाणिज्य संकाय
4. डॉ० श्याम बहादुर सिंह, प्रभारी शिक्षक-शिक्षा (बी०एड०) संकाय

नियन्ता परिषद

1. डॉ० जितेन्द्र सिंह
2. डॉ० संजय कुमार पाण्डेय
3. डॉ० जितेन्द्र बहादुर पाल
4. डॉ० राम समुद्र सिंह
5. डॉ० शैलेन्द्र नाथ मिश्र
6. डॉ० मंशा राम वर्मा
7. डॉ० मुकुल सिन्हा
8. डॉ० जय शंकर तिवारी
9. श्री लोहांस कुमार कल्याणी
10. डॉ० पृष्ठमिश्र मिश्र
11. डॉ० दलीप कुमार सिंह
12. डॉ० (श्रीमती) ममता शुक्ला
13. डॉ० अरुण प्रताप सिंह
14. डॉ० मनोज कुमार मिश्र

- मुख्य नियन्ता**
- नियन्ता
 - नियन्ता

परिसर स्वच्छता/व्यवस्था समिति

1. डॉ० अतुल कुमार सिंह, संयोजक
3. डॉ० मंशा राम वर्मा, सदस्य
5. डॉ० नीरज यादव, सदस्य
7. डॉ० अंजीत कुमार मिश्र, सदस्य

2. डॉ० विजय कुमार अग्रवाल, सह-संयोजक
4. डॉ० मुकुल सिन्हा, सदस्य
6. श्री ओम प्रकाश यादव, सदस्य
8. डॉ० रामिन्द्र पटेल, सदस्य

सांस्कृतिक कार्यक्रम/समारोह समिति

1. डॉ० अतुल कुमार सिंह, संयोजक
3. डॉ० (श्रीमती) अमन चन्द्रा, सदस्य
5. डॉ० श्याम बहादुर सिंह, सदस्य
7. डॉ० श्रवण कुमार श्रीवास्तव, सदस्य
9. डॉ० संदीप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य
11. डॉ० शरद चन्द्र मिश्र, सदस्य
13. श्री मनीष शर्मा, सदस्य

2. डॉ० बिनोद प्रताप सिंह, सह-संयोजक
4. डॉ० शैलेन्द्र नाथ मिश्र, सदस्य
6. डॉ० ऋषि केश सिंह, सदस्य
8. डॉ० मंशा राम वर्मा, सदस्य
10. डॉ० (श्रीमती) ऐरा शर्मा, सदस्य
12. डॉ० विजय कुमार अग्रवाल, सह-संयोजक
14. डॉ० विष्णु पटेल, सदस्य

छात्रवृत्ति समिति

1. श्री अवधेश कुमार वर्मा, संयोजक
3. डॉ० नीरज यादव, सदस्य
5. डॉ० रामिन्द्र पटेल, सदस्य
7. डॉ० (श्रीमती) रघुनाथ श्रीवास्तव, सदस्य

2. डॉ० (श्रीमती) शशिबाला, सदस्य
4. डॉ० शैलेश कुमार, सदस्य
6. डॉ० (श्रीमती) ममता शुक्ला, सदस्य

सत्रीय कार्य समिति

1. डॉ० श्याम बहादुर सिंह, संयोजक
3. डॉ० नीरज यादव, सदस्य
5. डॉ० (श्रीमती) चमन कौर, सदस्य

2. डॉ० संदीप कुमार श्रीवास्तव, सह-संयोजक
4. श्री लोहांस कुमार कल्याणी, सदस्य

ऐंगिंग निरोधक समिति

1. डॉ० बिनोद प्रताप सिंह, संयोजक
3. डॉ० संदीप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य
5. डॉ० (श्रीमती) चमन कौर, सदस्य
7. डॉ० रामिन्द्र पटेल, सदस्य
9. डॉ० अरुण प्रताप सिंह, सदस्य

2. डॉ० ऋषि केश सिंह, सह-संयोजक
4. डॉ० मुकुल सिन्हा, सदस्य
6. श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, सदस्य
8. डॉ० दलीप कुमार सिंह, सदस्य
10. डॉ० (श्रीमती) रघुनाथ श्रीवास्तव, सदस्य



महिला उत्पीड़न निरोधक प्रकोष्ठ

1. डॉ० (श्रीमती) अमन चब्बा, संयोजक
3. डॉ० (श्रीमती) शशिबाला, सदस्य

पुस्तकालय समिति

1. डॉ० कृष्णा नन्द पाण्डेय, संयोजक
3. डॉ० रंजन शर्मा, सदस्य
5. डॉ० श्याम बहादुर सिंह, सदस्य
7. डॉ० शैलेश कुमार, सदस्य
9. डॉ० देव नारायण पाण्डेय, सदस्य

वाचनालय समिति

1. डॉ० राम समुज्ज्ञा सिंह, संयोजक
3. डॉ० अशोक कुमार, सदस्य
5. डॉ० नीरज यादव, सदस्य
7. डॉ० राज बहादुर चौधरी, सदस्य
9. डॉ० विवेक कुमार खेरे, सदस्य

पत्रिका समिति

1. डॉ० शैलेश्वर नाथ मिश्र, संयोजक
3. डॉ० संजय कुमार पाण्डेय, सदस्य
5. डॉ० जय शंकर तिवारी, सदस्य

छात्र कल्याण समिति

1. डॉ० कृष्णा नन्द पाण्डेय, संयोजक
3. डॉ० राजीव कुमार अग्रवाल, सदस्य
5. डॉ० श्रवण कुमार श्रीवास्तव, सदस्य
7. डॉ० शारद चब्बा मिश्र, सदस्य

गलर्स कामन रूम समिति

1. डॉ० (श्रीमती) अमन चब्बा, संयोजक
3. डॉ० (श्रीमती) शशिबाला, सदस्य
5. डॉ० (श्रीमती) चमन कौर, सदस्य
7. डॉ० (श्रीमती) रचना श्रीवास्तव, सदस्य

क्रीड़ा समिति

1. डॉ० राज बहादुर सिंह बघेल, सचिव
3. डॉ० रंजन शर्मा, सदस्य
5. डॉ० (श्रीमती) ऐखा शर्मा, सदस्य
7. श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य
9. श्री शिशिर कुमार त्रिपाठी, सदस्य
11. डॉ० दिलीप शुक्ला, सदस्य

रेलवे कन्सेशन समिति

1. डॉ० विजय कुमार अग्रवाल, संयोजक
3. डॉ० रंजन शर्मा, सदस्य

विशेष :

1. समितियों में प्राचार्य के विवेक व आदेशानुसार कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।
2. छात्र निधियों से सम्बन्धित समितियों में समिति के संयोजक, प्राध्यापकों की संख्या के बराबर ही छात्र/छात्राओं को भी अनिवार्य रूप से समिलित करेंगे।

2. डॉ० (श्रीमती) ममता शर्मा, सह-संयोजक
4. डॉ० (श्रीमती) ऐखा शर्मा, सदस्य

2. डॉ० संजय कुमार पाण्डेय, सह-संयोजक
4. डॉ० जितेन्द्र बहादुर पाल, सदस्य
6. डॉ० अशोक कुमार, सदस्य
8. डॉ० विश्व दीपक त्रिपाठी, सदस्य

2. डॉ० वी०सी-एच०एन०के० श्रीनिवासा राव, सह-संयोजक
4. डॉ० जय शंकर तिवारी, सदस्य
6. श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य
8. डॉ० (श्रीमती) रचना श्रीवास्तव, सदस्य

2. डॉ० बिनोद प्रताप सिंह, सह-संयोजक
4. डॉ० मंशा राम वर्मा, सदस्य
6. श्री लोहांस कुमार कल्याणी, सदस्य

2. डॉ० शिव शरण शुक्ल, सह-संयोजक
4. डॉ० अभ्यु कुमार श्रीवास्तव, सदस्य
6. डॉ० ब्रह्मि केश सिंह, सदस्य
8. श्री मनीष शर्मा, सदस्य

2. डॉ० (श्रीमती) ममता शर्मा, सह-संयोजक
4. डॉ० (श्रीमती) ऐखा शर्मा, सदस्य
6. डॉ० (श्रीमती) ममता शुक्ला, सदस्य

2. डॉ० जितेन्द्र सिंह, सह-सचिव
4. डॉ० श्याम बहादुर सिंह, सदस्य
6. श्री लोहांस कुमार कल्याणी, सदस्य
8. डॉ० पुष्पमिश्र मिश्र, सदस्य
10. डॉ० धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला, सदस्य
12. डॉ० मनोज कुमार मिश्रा, सदस्य

2. डॉ० संजय कुमार पाण्डेय, सह-संयोजक
4. डॉ० संदीप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य



Botany and Zoology Lab



Physics Library and Lab





Mathematics Library and Chemistry Lab



College Campus



Central Library





Open Gym



Reading Room





महत्वपूर्ण सूचनायें/निर्देश

12. कॉलेज में जमा शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रवेश के समय चुने गये विषयों में पुनः कोई परिवर्तन नहीं होगा।
13. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी (EWS) के अन्तर्गत आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार होगा। इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं घोषणा पत्र के अतिरिक्त सक्षम अधिकारी से प्राप्त परिवार की परिस्म्पत्ति का प्रमाणपत्र की फोटोप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
14. विश्वविद्यालयीय परीक्षा आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से भटका समय पर जमा करने का दायित्व सम्बलित छात्र/छात्रा का है। डॉ. राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या ने छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन भरने का प्रावधान किया है। इस हेतु छात्रों/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा फार्म भरने की तिथियों व प्रक्रिया के विषय में खबर संचेष्ट रहने की आवश्यकता है।
15. किसी भी दशा में छात्र/छात्राएं मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडीO नहीं बदलें क्योंकि महत्वपूर्ण सूचनाएं कॉलेज व विश्वविद्यालय द्वारा उसी पर प्रेषित की जायेंगी।
16. प्रवेश के पश्चात् मध्य सत्र में कॉलेज छोड़कर जाने वाले छात्र/छात्रा उसी समय अपना नाम कटाकर शेष देयों का भुगतान करके स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
17. अवांछित तत्वों से कॉलेज को मुक्त रखने के लिए आवश्यक है कि कॉलेज परिसर में छात्र/छात्रा अपना परिचय पत्र अपने साथ अवश्य रखें व जाँच के दौरान उसे दिखायें।
18. जिन छात्रों के पास परिचय पत्र नहीं होगा, उन्हें बाहरी अवांछित तत्व समझा जायेगा और वे भा० द० वि० की धारा 151 के अन्तर्गत दण्ड के भागी होंगे।
19. विश्वविद्यालयीय परीक्षा में बैठने से पूर्व पुस्तकों वापस लौटाना तथा अदेय (छव कनमे) प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है। सभी देय राशियां देना अनिवार्य है। परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् विश्वविद्यालय से अंक पत्र आने पर परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाने पर अंक पत्र प्राप्त होगा।
20. किसी भी दूसरे छात्र या व्यक्ति को अंक पत्र देय नहीं होगा। छात्रा का अंक पत्र किसी भी छात्र को नहीं दिया जायेगा। क्रास लिस्ट छात्रों/छात्राओं को दिखाने के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
21. प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष प्रवेश तिथि, प्रवेश रसीद का क्रमांक, UIIN तथा छात्र संख्या को सुरक्षित स्थान पर भावी सदम्भो हेतु नोट कर लेना चाहिए तथा छायाप्रति (फोटोस्टेट) भी रखनी चाहिये।
22. 'अवधि विश्वविद्यालय मादक द्रव्य (निवारण, प्रतिषेध एवं शारित) अध्यादेश' कॉलेज परिसर में प्रभावी है। इसके अनुसार मादक द्रव्यों यथा—सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला आदि का सेवन वर्जित है। इसका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा दण्ड के भागी होंगे।
23. प्रवेश लेने के एक सप्ताह के अन्दर नियंता कार्ड नियंता कार्यालय में जमा कर दें तथा परिचय पत्र पर सम्बन्धित नियन्ता के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करा लें।
24. सभी छात्र छात्राओं की कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति होने पर उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

॥ विद्याऽमृतमशनुते ॥

विद्या के द्वारा ही अमृतत्व प्राप्त होता है।
" Immortality is attained only by knowledge"
—ईशावास्योपनिषद्

मनः सन्दिः : (Vision) गोण्डा जलपद व अन्त्य पड़ोसी जलपदों में उच्च शिक्षा के वैज्ञानिक व सामाजिक उद्देश्यों को प्रदान करना व उनको आगे बढ़ाना।

मिशन : (Mission) संस्कार में शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न करके तथा पठन-पाठन प्रक्रिया में गुणात्मक घटि करके महाविद्यालय को 30 प्र० में उच्च शिक्षा का सर्वोत्तम छोन्द बनाना।



महाविद्यालय के प्रिय छात्रों एवं छात्राओं से
मेरी यह अपेक्षा होगी कि वे उत्तम अनुशासन व्यवस्था बनाए
रखते हुए अध्ययन — अध्यापन कार्य के सुचारूरूप से संचालित होने में
सहयोग प्रदान करेंगे तथा इस महाविद्यालय में अपने व्यक्तित्व का
सर्वांगीण विकास करते हुए अपने भावी समृद्ध जीवन हेतु
मार्ग प्रशस्त करेंगे। उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु
हमारी शुभकामना है।

प्राचार्य